



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 जनवरी 2013-पौष 28, शके 1934

भाग 3 (1)

विज्ञापन

न्यायालयों की सूचनाएं

Notice for withdrawal of election petition No.26/2009

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
BENCH AT GWALIOR

Notice of Election Petition of Respondent
ELECTION PETITION NO.26/2009

Rajendra Bharti S/o Shri Shyam Sunder, Age 47 years, Occupation -
agriculture, R/o Mudian Ka Kua, Datia, (M.P.)

Vs.

Narottam Mishra S/o Shri Shiv Dutta Mishra , Age 48 years,
R/o Mishra Medical Hall, Ward No. 17, Jawahar Ganj, Dabra Distt. Gwalior, (M.P.)

To,

R- Narottam Mishra S/o Shri Shiv Dutta Mishra, Age 48 years, R/o Mishra
Medical Hall, Ward No. 17, Jawahar Ganj, Dabra Distt. Gwalior (M.P.)

WHEREAS this date was fixed for hearing the above Election Petition on IA No. 4603/2012 for
withdrawal of the case.

Hon'ble Court ordered for publication of notice in official Gazette of State of M.P for calling upon
objections from general public in respect of withdrawal of Election Petition.

Notice is hereby given to you that 1st February, 2013 is fixed for hearing for withdrawal
application, in default of the last mentioned, the I.A, will be heard and determined.

GIVEN UNDER MY HAND AND THE SEAL OF THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
BENCH GWALIOR THIS 15th DAY OF JANUARY, 2013.

B. D. RATHI,
Principal Registrar,
High Court of Madhya Pradesh,
Bench Gwalior.

(265-B.)

अन्य सूचनाएं

उप-नाम परिवर्तन

मैं, हुनैद रंगवाला पिता सैफुद्दीन, यह घोषणा करता हूँ कि मैंने अपना उपनाम रंगवाला से बदलकर सैफी कर लिया है. अतः मुझे भविष्य में हुनैद सैफी पिता सैफुद्दीन के नाम से जाना जावे.

पुराना नाम :
(हुनैद रंगवाला)

(257-बी.)

नया नाम :
(हुनैद सैफी)
13, सैफी कॉलोनी, प्लॉट नं.- 2
पड़ावा वार्ड, इंदौर रोड,
खंडवा (म. प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, यास्मीन पति हुनैद सैफी, यह घोषणा करती हूँ कि मैंने अपना नाम बदलकर तस्नीम सैफी पति हुनैद सैफी कर लिया है. अतः मुझे भविष्य में तस्नीम सैफी पति हुनैद सैफी के नाम से जाना जावे.

पुराना नाम :
(यास्मीन)

(258-बी.)

नया नाम :
(तस्नीम सैफी)
13, सैफी कॉलोनी, प्लॉट नं.-2
पड़ावा वार्ड, इंदौर रोड,
खंडवा (म. प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मुझ भगवती देवी पति राजकुमार मेघनानी, निवासी मंदसौर ने अपना नाम परिवर्तन कर नया नाम माधुरी मेघनानी पति राजकुमार मेघनानी रख लिया है तथा मुझे भविष्य में इसी नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :
(भगवतीदेवी)

(259-बी.)

नया नाम :
(माधुरी मेघनानी)
पति राजकुमार जी मेघनानी,
12-13 दशरथ नगर, मंदसौर.

CHANGE OF NAME

I, Mahesh Prasad Varma hereby declare That I have change My name as Mahesh Kumar Varma S/o Mishrilal Verma, so from now and In future I will be known by my new name.

Old Name :
(Mahesh Prasad Varma)

((260-B.)

New Name :
(Mahesh Kumar Varma)
S/o Mishrilal Varma,
Add: 13-B, Bhawanipur
Colony, Opp. Annapurna
Mandir, Indore (M. P.).

CHANGE OF NAME

I, Shivi hereby declare That I have change My name as Shivi Kharia D/o Arun Kharia, so from now and In future I will be known by my new name.

Old Name :
(Shivi)

(261-B.)

New Name :
(Shivi kharia)
D/o Arun Kharia,
Add: 3-A, M.I.G,
Colony, Sanjay Upwan,
Indore (M. P.).

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का नाम ईशान सिंघई था जो अब बदलकर ईशान जैन (ESHAN JAIN) रख लिया है. अतः भविष्य में इसी नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

दिनेश कुमार जैन,
607/1, कालानी नगर,
इन्दौर (म. प्र.).

(262-बी.)

विविध**न्यायालयों की सूचनाएं**

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, नागदा, जिला उज्जैन

प्र. क्र. 03/बी-113/11-12

प्रारूप-चार

[नियम-5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1951 का 30) की धारा-5 की उप-धारा (2)

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिये]

पंजीयक,
लोक न्यास, नागदा,
जिला उज्जैन के समक्ष.

चूँकि संवाद हेतु न्यासी नंदराम पिता पूनाजी, वाकथलिया नि. पाडल्यारोड नागदा ने “ श्री पूना जी पिता लालजी वाकथलिया का पुत्र भाई भेराजी पति धिसीबाई, का दत्तक पुत्र महात्मा रामभजनदास जी के शिष्य नंदराम वेद धाकड धर्मशाला नागदा जं.” का मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 30 जनवरी, 2013 को प्रातः 11.00 बजे विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो, उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, नागदा, जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 30 जनवरी, 2013 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उप-धारा (1) के द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का वर्णन)

न्यास का नाम	..	श्री पूना जी पिता लालजी वाकथलिया का पुत्र भाई भेराजी पति धिसीबाई, का दत्तक पुत्र महात्मा रामभजनदास जी के शिष्य नंदराम वेद धाकड धर्मशाला नागदा.
कार्यालय	..	पाल्यारोड गौशाला की गली, नागदा जं.
चल सम्पत्ति	..	निल.

संतोष टैगोर,

अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, अनुभाग-देवास

देवास, दिनांक 12 जुलाई, 2012

[पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-5 (2) व पब्लिक ट्रस्ट नियम, 1952 का नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

क्र. 5027/रीडर-1/12.— मुख्य प्रबंध ट्रस्टी अध्यक्ष श्री सुनिल चौहान, निवासी ईदगाह रोड, देवास द्वारा इस न्यायालय में “श्री विश्वकर्मा जूना गुजराती लोहार/सुतार पांचाल समाज देवास” के नाम से ट्रस्ट पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है. आवेदन-पत्र के साथ ट्रस्ट का घोषणा-पत्र उद्देश्य नियमावली एवं ट्रस्ट की प्रस्तावना एवं उसकी रूप रेखा आदि के साथ संलग्न किया गया है. ट्रस्ट पंजीयन के संबंध में पंजीयन शुल्क रूपये 5/- चालान की प्रति संलग्न की गई है.

अतः श्री विश्वकर्मा जूना गुजराती लोहार/सुतार पांचाल समाज देवास के पंजीयन हेतु यदि किसी व्यक्ति विशेष अथवा कोई संस्था को किसी भी प्रकार की कोई दावा/आपत्ति हो तो वह अपनी लिखित आपत्ति इस उद्घोषणा के जारी होने के दिनांक से 30 दिन में इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है. नियत समयावधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली किसी भी प्रकार की दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा प्रकरण में आगामी कार्यवाही सम्पादित की जावेगी.

आज दिनांक 12 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से जारी गई.

प्रभात काबरा,

(20)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास कुक्षी, जिला धार

कुक्षी, दिनांक 28 दिसम्बर, 2012

फॉर्म-4

[नियम-5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश न्यास अधिनियम, 1951 (तीसवां) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) के द्वारा]

आवेदक मनोहरलाल पिता मणीलालजी जैन, अध्यक्ष श्री पार्श्वनाथ राजेन्द्र जैन, ट्रस्ट तालनपुर तहसील कुक्षी, जिला धार ने मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1959 की धारा-35 के अंतर्गत अनुसूची में उल्लेखित पंजीकृत सार्वजनिक न्यास के ट्रस्टियों के नाम बदलने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है जिनकी सुनवाई इस न्यायालय में दिनांक 28 जनवरी, 2013 को प्रातः 11.00 बजे की जावेगी.

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त पंजीकृत न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रति में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिगत या अभिभाषक अथवा अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

1. न्यास का नाम : श्री पार्श्वनाथ राजेन्द्र जैन, ट्रस्ट तालनपुर.
2. नवीन ट्रस्टियों के नाम :-

क्र.	नाम	पद
1.	श्री मनोहरलाल पिता मणीलाल जैन	अध्यक्ष
2.	श्री जयेशकुमार प्रकाशचन्द जैन	सचिव
3.	श्री अशोककुमार राजमल जैन	कोषाध्यक्ष
4.	श्री जिनेन्द्रकुमार कनकचन्द जैन	ट्रस्टी

क्र.	नाम	पद
5.	श्री दिलिपकुमार संतोषीलाल जैन	ट्रस्टी
6.	श्री अशोककुमार शांतिलाल जैन	ट्रस्टी
7.	श्री नरेन्द्रकुमार तिलोकचन्द जैन	ट्रस्टी
8.	श्री सुरेशकुमार बाबुलाल जैन	ट्रस्टी
9.	श्री सुशिलकुमार संतोषीलाल जैन	ट्रस्टी
10.	श्री राजेन्द्रकुमार कनकचन्द जैन	ट्रस्टी
11.	श्री नरेशकुमार तिलकचन्द जैन	ट्रस्टी

(12)

रेखा राठौर,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय परिसमापक एवं व.स.नि. सहकारी संस्थाएं, विदिशा

विदिशा, दिनांक 24 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

निम्नलिखित संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर मुझे धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	परिसमापित समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	प्राथमिक हरि. एवं आदि. खनिज काम.स.सं.मर्या., गोड़खेड़ी (कुरवाई)	540/19-02-1996	क्र/परि/12/52/10-1-2012
2.	आदि. काम. एवं कारी.की सह. सं. मर्या., बावईकला (कुरवाई)	550/24-08-1996	क्र/परि/12/52/10-1-2012
3.	हरि. आदि. काम. व कारी.की सह.सं.मर्या., पटरा (कुरवाई)	498/27-11-1993	क्र/परि/12/52/10-1-2012

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, 1962 के नियम 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय साक्ष्य के यदि कोई हो तो मुझे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा में उपस्थित होकर लिखित रूप में सहप्रमाण प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में किसी भी लाभ के बंटवारे/दावे से वंचित होने के लिये संबंधित दावेदार स्वयं दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी भी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था की लेखा-पुस्तकों में समस्त लेखाबद्ध दायित्व मुझे स्वयमेव प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 24 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से यह आदेश जारी किया गया.

(14-A)

रामसिंह,
परिसमापक एवं व.स.नि.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा

विदिशा, दिनांक 27 दिसम्बर, 2012

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2001/1881, विदिशा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2001 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, टोरीबागरोद, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./व्ही. डी. एस./405, दिनांक 30 अक्टूबर, 1991 को परिसमापन में लाया जाकर श्री ए. के. जैन, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं जिला विदिशा को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., टोरीबागरोद, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, टोरीबागरोद, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./व्ही. डी. एस./405, दिनांक 30 अक्टूबर, 1991 का पंजीयन निरस्त करते हुये उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 27 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(14)

विदिशा, दिनांक 28 दिसम्बर, 2012

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2001/1772, विदिशा, दिनांक 08 अक्टूबर, 2001 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, उदयपुर, तहसील बासौदा, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./व्ही. डी. एस./308, दिनांक 22 मई, 1987 को परिसमापन में लाया जाकर श्री आर. एस. दुबे, सहकारी निरीक्षक कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं जिला विदिशा को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था।

समापक द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, उदयपुर, तहसील बासौदा, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, उदयपुर, तहसील बासौदा, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./व्ही. डी. एस./308, दिनांक 22 मई, 1987 का पंजीयन निरस्त करते हुये उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(14-B)

विदिशा, दिनांक 28 दिसम्बर, 2012

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2001/1772, विदिशा, दिनांक 08 अक्टूबर, 2001 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, उहर, तहसील बासौदा, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./व्ही. डी. एस./317, दिनांक 21 अक्टूबर, 1987 को परिसमापन में लाया जाकर श्री आर. के. सोनी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकसखण्ड ग्यारसपुर, जिला विदिशा को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था।

समापक द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, उहर, तहसील बासौदा, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, उहर, तहसील बासौदा, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./व्ही. डी. एस./317, दिनांक 21 अक्टूबर, 1987 का पंजीयन निरस्त करते हुये उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(14-C)

विदिशा, दिनांक 28 दिसम्बर, 2012

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2001/1772, विदिशा, दिनांक 08 अक्टूबर, 2001 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, त्योंदा, तहसील त्योंदा, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./व्ही. डी. एस./312, दिनांक 19 अक्टूबर, 1987 को परिसमापन में लाया जाकर श्री आर. एस. दुबे, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं जिला विदिशा को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था।

समापक द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, त्योंदा, तहसील त्योंदा, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, त्योंदा, तहसील त्योंदा, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./व्ही. डी. एस./312, दिनांक 19 अक्टूबर, 1987 का पंजीयन निरस्त करते हुये उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

भूपेन्द्र प्रताप सिंह,
उप-पंजीयक.

(14-D)

कार्यालय परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारी समितियां, ग्वालियर, जिला ग्वालियर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक/सहायक पंजीयक सहकारी समितियां, जिला ग्वालियर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया :-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	चम्बल महिला बहुउद्देश्यी सहकारी संस्था मर्या., घाटीगाँव जिला ग्वालियर.	ए. आर./जी. डब्लू आर./ 866/5-3-1997	क्र/परि./2010/464/10-3-2010
2.	कमलाराजा गर्ल्स कॉलेज प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., ग्वालियर.	ए. आर./जी. डब्लू आर./ 836/22-5-1996	क्र/परि./2010/463/10-3-2010
3.	न्यायिक कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	डी. आर./जी. डब्लू आर./ 239/31-7-1996	क्र/परि./2010/463/10-3-2010
4.	स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर, गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	डी. आर./जी. डब्लू आर./ 73/13-12-1978.	क्र/परि./2012/2456/24-11-2012

सहकारी अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्था की समस्त आस्तियाँ परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र जारी करने के दिनांक से 60 दिन के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, ग्वालियर के कार्यालयीन दिवस समय दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी लाभ के बंटवारे से बंचित होने से दायित्वाधीन होंगे समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियाँ मान्य नहीं होंगी तथा संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियाँ, डेडस्टाक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सोपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियाँ या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेडस्टाक नहीं सोपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनके बसूलने हेतु विधिवत बौधानिक कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जबाबदारी सम्बंधित की होगी।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती है तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे आपत्तियाँ का निराकरण गत वर्षों वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी/देनदारी की प्रविष्टियों पत्रकों में दर्शाई गई उन्हे वोगस, शून्यकाल मानकर तदनुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी की गई है.

के. एस. तोमर,

वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक .

(17)

कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

देवास, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69, 70, 71 के अन्तर्गत)

श्री जी चर्मकार औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., इकलेरा, तहसील बागली, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 498, दिनांक 21 दिसम्बर, 1994 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र.2480, दिनांक 17 सितम्बर, 2012 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 04 अक्टूबर, 2012 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक/जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उसे परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्टित हैं, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री मनोहर कैथवास, सहकारी निरीक्षक, देवास को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री मनोहर कैथवास, सहकारी निरीक्षक, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(15)

देवास, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69, 70, 71 के अन्तर्गत)

नर्मदा परिवहन सहकारी संस्था मर्या., देवास, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1028, दिनांक 28 अगस्त, 2002 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र.2472, दिनांक 13 सितम्बर, 2012 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 04 अक्टूबर, 2012 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक/जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उसे परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्टित हैं, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री मनोहर कैथवास, सहकारी निरीक्षक, देवास को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री मनोहर कैथवास, सहकारी निरीक्षक, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(15-A)

देवास, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, घटियाभाना जिसका पंजीयन क्रमांक/स.प.दे./317, दिनांक 28 मार्च, 1998 है. तहसील सोनकछ, जिला देवास, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री डी.के. दन्देलिया, सह. निरी. को आदेश क्रमांक 2111, दिनांक 1 अक्टूबर, 2008 से परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की आमसभा दिनांक 21 जुलाई, 2011 आयोजित कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संस्था के सदस्यों के आर्थिक उन्नति के हित में संस्था को पुनर्जीवित करना चाहते हैं. सहकारिता के विस्तार की दृष्टि से संस्था को पुनर्जीवित करना उचित है तथा परिसमापक के प्रस्ताव से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था सदस्यों के हित में संस्था का आस्तित्व बना रहना उचित है एवं उसे पुनर्जीवित करना उचित है.

अतः मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहाकारी समितियां अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा-3 की उपधारा-(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, घटियाभाना, तहसील सोनकछ, जिला देवास को परिसमापन में लाने हेतु जारी किये गये आदेश को निरस्त करते हुए, इस आदेश के तहत पुनर्जीवित करता हूँ तथा निर्देश देता हूँ कि तीन माह में संस्था अपना निर्वाचन पूर्ण करावे.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा के अधीन जारी किया गया.

(15-B)

देवास, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012

गणेश सिंचाई सहकारी समिति मर्यादित, सुकल्या जिसका पंजीयन क्रमांक/स.प.दे./135, दिनांक 20 दिसम्बर, 1966 है. तहसील देवास, जिला देवास, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री आर.सी. मालवीय, सह. निरी. को आदेश क्रमांक 1754, दिनांक 17 सितम्बर, 2009 से परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की आमसभा दिनांक 16 अक्टूबर, 2011 आयोजित कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संस्था के सदस्यों के आर्थिक उन्नति के हित में संस्था को पुनर्जीवित करना चाहते हैं. सहकारिता के विस्तार की दृष्टि से संस्था को पुनर्जीवित करना उचित है तथा परिसमापक के प्रस्ताव से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था सदस्यों के हित में संस्था का आस्तित्व बना रहना उचित है एवं उसे पुनर्जीवित करना उचित है.

अतः मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा-3 की उपधारा-(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गणेश सिंचाई सहकारी समिति मर्यादित, सुकल्या तहसील देवास, जिला देवास को परिसमापन में लाने हेतु जारी किये गये आदेश को निरस्त करते हुए, इस आदेश के तहत पुनर्जीवित करता हूँ तथा निर्देश देता हूँ कि तीन माह में संस्था अपना निर्वाचन पूर्ण करावे.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा के अधीन जारी किया गया.

(15-C)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, पोखर बुजुर्ग जिसका पंजीयन क्रमांक/स.प.दे./974, दिनांक 10 सितम्बर, 2001 है. तहसील सत्वास, जिला देवास, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री एन. के. सोनी, दुग्ध संघ पर्यवेक्षक को आदेश क्रमांक 130, दिनांक 10 अक्टूबर, 2012 से परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की आमसभा दिनांक 24 नवम्बर, 2012 आयोजित कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संस्था के सदस्यों के आर्थिक उन्नति के हित में संस्था को पुनर्जीवित करना चाहते हैं. सहकारिता के विस्तार की दृष्टि से संस्था को पुनर्जीवित करना उचित है तथा परिसमापक के प्रस्ताव से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था सदस्यों के हित में संस्था का आस्तित्व बना रहना उचित है एवं उसे पुनर्जीवित करना उचित है.

अतः मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा-3 की उपधारा-(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, पोखर बुजुर्ग, तहसील सत्वास, जिला देवास को परिसमापन में लाने हेतु जारी किये गये आदेश को निरस्त करते हुए, इस आदेश के तहत पुनर्जीवित करता हूँ तथा निर्देश देता हूँ कि तीन माह में संस्था अपना निर्वाचन पूर्ण करावे.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा के अधीन जारी किया गया.

(15-D)

के. एन. त्रिपाठी,
उप-पंजीयक.

कार्यालय परिसमापक, छोटी चुरलाय सहकारी संस्था मर्यादित, छोटी चुरलाय

दिनांक 13 जून, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र. 1586.—छोटी चुरलाय दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, छोटी चुरलाय, तहसील देवास, जिला देवास, जिसका पंजीयन क्रमांक 1105, दिनांक 20 अक्टूबर, 2005 है, को उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास के आदेश क्रमांक 1586, दिनांक 13 जून, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मयप्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(16)

कार्यालय परिसमापक, सेतखेड़ी दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, सेतखेड़ी

दिनांक 13 जून, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र. 1587.—सेतखेड़ी दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, सेतखेड़ी, तहसील बागली, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 393, दिनांक 29 अक्टूबर, 2006 है, को उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास के आदेश क्रमांक 1587, दिनांक 13 जून, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मयप्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(16-A)

कार्यालय परिसमापक, पत्थर गुराडिया सहकारी संस्था मर्यादित, पत्थर गुराडिया

दिनांक 13 जून, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र. 1588.—पत्थरगुराडिया सहकारी संस्था मर्यादित, पत्थरगुराडिया, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 270, दिनांक 23 जुलाई, 1976 है, को उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास के आदेश क्रमांक 1588, दिनांक 13 जून, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मयप्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(16-B)

कार्यालय परिसमापक, पटाडी दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, पटाडी

दिनांक 13 जून, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र.1589.—पटाडी दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, पटाडी, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 614, दिनांक 30 नवम्बर, 1987 है, को उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास के आदेश क्रमांक 1589, दिनांक 13 जून, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मयप्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(16-C)

कार्यालय परिसमापक, रोजडी दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, रोजडी

दिनांक 14 जून, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र.1614.—रोजडी दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, रोजडी, तहसील बागली, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1095, दिनांक 17 मई, 2005 है, को उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास के आदेश क्रमांक 1614, दिनांक 14 जून, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मयप्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(16-D)

कार्यालय परिसमापक, शुकुवासा दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, शुकुवासा

दिनांक 17 जून, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र.1741.—शुकुवासा दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, शुकुवासा, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 700, दिनांक 01 सितम्बर, 1990 है, को उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास के आदेश क्रमांक 1741, दिनांक 26 जून, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मयप्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(16-E)

परमानंद पाटीदार,
परिसमापक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./12/1435, धार, दिनांक 23 अगस्त, 2012 अनुसार तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मोरगांव, तहसील सरदारपुर, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक/DR./562, दिनांक 19 अक्टूबर, 1983 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. किन्तु संस्था द्वारा जो उत्तर प्रस्तुत किया गया है/नहीं किया गया है, वह असंतोषजनक है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम, 1962 एवं पंजीकृत उपविधि के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है तथा विगत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी "डी" वर्ग देने से यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मोरगांव, तहसील सरदारपुर, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री व्ही. एस. चौहान, अंकेक्षण अधिकारी, धार को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(18)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./12/1434, धार, दिनांक 23 अगस्त, 2012 अनुसार तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., वरमंडल, तहसील सरदारपुर, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक/DR./551, दिनांक 17 जून, 1983 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. किन्तु संस्था द्वारा जो उत्तर प्रस्तुत किया गया है/नहीं किया गया है, वह असंतोषजनक है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम, 1962 एवं पंजीकृत उपविधि के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है तथा विगत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी "डी" वर्ग देने से यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., वरमंडल, तहसील सरदारपुर, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री व्ही. एस. चौहान, अंकेक्षण अधिकारी, धार को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(18-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./12/1433, धार, दिनांक 23 अगस्त, 2012 अनुसार तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिपरनी, तहसील सरदारपुर, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक/DR./549, दिनांक 17 जून, 1983 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. किन्तु संस्था द्वारा जो उत्तर प्रस्तुत किया गया है/नहीं किया गया है, वह असंतोषजनक है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम, 1962 एवं पंजीकृत उपविधि के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है तथा विगत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी "डी" वर्ग देने से यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिपरनी, तहसील सरदारपुर, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री व्ही. एस. चौहान, अंकेक्षण अधिकारी, धार को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(18-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./12/1437, धार, दिनांक 23 अगस्त, 2012 अनुसार तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., छाजन, तहसील बदनावर, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक/DR./673, दिनांक 29 नवम्बर, 1985 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. किन्तु संस्था द्वारा जो उत्तर प्रस्तुत किया गया है/नहीं किया गया है, वह असंतोषजनक है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम, 1962 एवं पंजीकृत उपविधि के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है तथा विगत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी "डी" वर्ग देने से यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., छाजन, तहसील बदनावर, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री व्ही. एस. चौहान, अंकेक्षण अधिकारी, धार को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(18-C)

धार, दिनांक 30 नवम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/2143.-कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./12/1887, धार, दिनांक 9 नवम्बर, 2012 अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देवगढ़, तहसील मनावर, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक/DR./1090, दिनांक 6 अक्टूबर, 2001 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. किन्तु संस्था द्वारा जो उत्तर प्रस्तुत किया गया है/नहीं किया गया है, वह असंतोषजनक है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम, 1962 एवं पंजीकृत उपविधि के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है तथा विगत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी "डी" वर्ग देने से यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देवगढ़, तहसील मनावर, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री व्ही. एस. चौहान, अंकेक्षण अधिकारी, धार को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(18-D)

धार, दिनांक 06 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/2187.-कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./12/1887, धार, दिनांक 9 नवम्बर, 2012 अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धानी, तहसील धरमपुरी, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक/DR./1140, दिनांक 23 दिसम्बर, 2002 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. किन्तु संस्था द्वारा जो उत्तर प्रस्तुत किया गया है/नहीं किया गया है, वह असंतोषजनक है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम, 1962 एवं पंजीकृत उपविधि के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है तथा विगत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी "डी" वर्ग देने से यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धानी, तहसील धरमपुरी, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री व्ही. एस. चौहान, अंकेक्षण अधिकारी, धार को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 06 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(18-E)

धार, दिनांक 06 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/2188.-कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./12/1887, धार, दिनांक 9 नवम्बर, 2012 अनुसार महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पचलाना, तहसील धार, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक/DR./2086, दिनांक 5 अक्टूबर, 2001 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. किन्तु संस्था द्वारा जो उत्तर प्रस्तुत किया गया है/नहीं किया गया है, वह असंतोषजनक है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम, 1962 एवं पंजीकृत उपविधि के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है तथा विगत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी "डी" वर्ग देने से यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पचलाना, तहसील धार, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री व्ही. एस. चौहान, अंकेक्षण अधिकारी, धार को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 06 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(18-F)

धार, दिनांक 06 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/2189.-कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./12/1887, धार, दिनांक 9 नवम्बर, 2012 अनुसार महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिमलावदा, तहसील धार, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक/DR./1120, दिनांक 13 सितम्बर, 2002 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. किन्तु संस्था द्वारा जो उत्तर प्रस्तुत किया गया है/नहीं किया गया है, वह असंतोषजनक है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम, 1962 एवं पंजीकृत उपविधि के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है तथा विगत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी "डी" वर्ग देने से यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिमलावदा, तहसील धार, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री व्ही. एस. चौहान, अंकेक्षण अधिकारी, धार को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 6 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(18-G)

धार, दिनांक 06 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/2190.-कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./12/1887, धार, दिनांक 9 नवम्बर, 2012 अनुसार महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नेकपुरा, तहसील धार, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक/DR./1106, दिनांक 26 जून, 2002 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. किन्तु संस्था द्वारा जो उत्तर प्रस्तुत किया गया है/नहीं किया गया है, वह असंतोषजनक है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम, 1962 एवं पंजीकृत उपविधि के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है तथा विगत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी "डी" वर्ग देने से यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नेकपुरा, तहसील धार, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री व्ही. एस. चौहान, अंकेक्षण अधिकारी, धार को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 6 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(18-H)

धार, दिनांक 06 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/2191.-कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./12/1887, धार, दिनांक 9 नवम्बर, 2012 अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिपलखेडा, तहसील धार, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक/DR./1093, दिनांक 15 अक्टूबर, 2001 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. किन्तु संस्था द्वारा जो उत्तर प्रस्तुत किया गया है/नहीं किया गया है, वह असंतोषजनक है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम, 1962 एवं पंजीकृत उपविधि के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है तथा विगत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी "डी" वर्ग देने से यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिपलखेडा, तहसील धार, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री व्ही. एस. चौहान, अंकेक्षण अधिकारी, धार को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 6 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(18-I)

धार, दिनांक 06 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/2192.-कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./12/1887, धार, दिनांक 9 नवम्बर, 2012 अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पंचीघाटी, तहसील धरमपुरी, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक/DR./1139, दिनांक 23 दिसम्बर, 2002 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. किन्तु संस्था द्वारा जो उत्तर प्रस्तुत किया गया है/नहीं किया गया है, वह असंतोषजनक है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम, 1962 एवं पंजीकृत उपविधि के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है तथा विगत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी "डी" वर्ग देने से यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पंचीघाटी, तहसील धरमपुरी, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री व्ही. एस. चौहान, अंकेक्षण अधिकारी, धार को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 6 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(18-J)

धार, दिनांक 06 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/2193.-कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./12/1887, धार, दिनांक 9 नवम्बर, 2012 अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ताजपुर, तहसील धार, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक/DR./1127, दिनांक 25 नवम्बर, 2002 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. किन्तु संस्था द्वारा जो उत्तर प्रस्तुत किया गया है/नहीं किया गया है, वह असंतोषजनक है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम, 1962 एवं पंजीकृत उपविधि के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है तथा विगत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी "डी" वर्ग देने से यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ताजपुर, तहसील धार, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री व्ही. एस. चौहान, अंकेक्षण अधिकारी, धार को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 6 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(18-K)

धार, दिनांक 06 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/2194.-कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./12/1887, धार, दिनांक 9 नवम्बर, 2012 अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., झाडीबरोदा, तहसील धार, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक/DR./1195, दिनांक 23 नवम्बर, 2005 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. किन्तु संस्था द्वारा जो उत्तर प्रस्तुत किया गया है/नहीं किया गया है, वह असंतोषजनक है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम, 1962 एवं पंजीकृत उपविधि के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है तथा विगत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी "डी" वर्ग देने से यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., झाडीबरोदा, तहसील धार, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री व्ही. एस. चौहान, अंकेक्षण अधिकारी, धार को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 6 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(18-L)

धार, दिनांक 06 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/2195.-कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./12/1887, धार, दिनांक 9 नवम्बर, 2012 अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कालुखेडी, तहसील धार, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक/DR./914, दिनांक 7 दिसम्बर, 1992 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. किन्तु संस्था द्वारा जो उत्तर प्रस्तुत किया गया है/नहीं किया गया है, वह असंतोषजनक है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम, 1962 एवं पंजीकृत उपविधि के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है तथा विगत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी "डी" वर्ग देने से यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कालुखेडी, तहसील धार, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री व्ही. एस. चौहान, अंकेक्षण अधिकारी, धार को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 6 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(18-M)

धार, दिनांक 06 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/2196.-कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./12/1887, धार, दिनांक 9 नवम्बर, 2012 अनुसार महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मुंडला, तहसील धार, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक/DR./925, दिनांक 10 मार्च, 1993 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. किन्तु संस्था द्वारा जो उत्तर प्रस्तुत किया गया है/नहीं किया गया है, वह असंतोषजनक है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम, 1962 एवं पंजीकृत उपविधि के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है तथा विगत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी "डी" वर्ग देने से यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मुंडला, तहसील धार, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री व्ही. एस. चौहान, अंकेक्षण अधिकारी, धार को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 6 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(18-N)

धार, दिनांक 06 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/2197.-कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./12/1887, धार, दिनांक 9 नवम्बर, 2012 अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सांभर, तहसील धार, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक/DR./480, दिनांक 7 जून, 1982 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. किन्तु संस्था द्वारा जो उत्तर प्रस्तुत किया गया है/नहीं किया गया है, वह असंतोषजनक है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम, 1962 एवं पंजीकृत उपविधि के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है तथा विगत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी "डी" वर्ग देने से यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सांभर, तहसील धार, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री व्ही. एस. चौहान, अंकेक्षण अधिकारी, धार को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 6 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(18-O)

धार, दिनांक 06 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/2198.-कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./12/1887, धार, दिनांक 9 नवम्बर, 2012 अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अमझेरा, तहसील सरदारपुर, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक/DR./401, दिनांक 20 जून, 1978 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. किन्तु संस्था द्वारा जो उत्तर प्रस्तुत किया गया है/नहीं किया गया है, वह असंतोषजनक है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम, 1962 एवं पंजीकृत उपविधि के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है तथा विगत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी "डी" वर्ग देने से यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अमझेरा, तहसील सरदारपुर, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री व्ही. एस. चौहान, अंकेक्षण अधिकारी, धार को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 6 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(18-P)

धार, दिनांक 06 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/2199.-कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./12/1887, धार, दिनांक 9 नवम्बर, 2012 अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बिल्लोद, तहसील धार, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक/DR./538, दिनांक 16 अप्रैल, 1983 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. किन्तु संस्था द्वारा जो उत्तर प्रस्तुत किया गया है/नहीं किया गया है, वह असंतोषजनक है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम, 1962 एवं पंजीकृत उपविधि के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है तथा विगत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी "डी" वर्ग देने से यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बिल्लोद, तहसील धार, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री व्ही. एस. चौहान, अंकेक्षण अधिकारी, धार को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 6 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(18-Q)

धार, दिनांक 06 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/2200.-कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./12/1887, धार, दिनांक 09 नवम्बर, 2012 अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बिजुर, तहसील धार, जिला धार जिसका पंजीयन क्रमांक/DR./497, दिनांक 07 जून, 1982 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. किन्तु संस्था द्वारा जो उत्तर प्रस्तुत किया गया है/नहीं किया गया है, वह असंतोषजनक है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम, 1962 एवं पंजीकृत उपविधि के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है तथा विगत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी "डी" वर्ग देने से यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बिजुर, तहसील धार, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री व्ही. एस. चौहान, अंकेक्षण अधिकारी, धार को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 06 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(18-R)

धार, दिनांक 06 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/2201.-कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./12/1887, धार, दिनांक 09 नवम्बर, 2012 अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., टिमायची, तहसील सरदारपुर, जिला धार जिसका पंजीयन क्रमांक/DR./614, दिनांक 20 अक्टूबर, 1984 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. किन्तु संस्था द्वारा जो उत्तर प्रस्तुत किया गया है/नहीं किया गया है, वह असंतोषजनक है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम, 1962 एवं पंजीकृत उपविधि के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है तथा विगत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी "डी" वर्ग देने से यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., टिमायची, तहसील सरदारपुर, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री व्ही. एस. चौहान, अंकेक्षण अधिकारी, धार को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 06 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(18-S)

धार, दिनांक 06 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/2202.-कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./12/1887, धार, दिनांक 09 नवम्बर, 2012 अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिलोदाखुर्द, तहसील बदनावर, जिला धार जिसका पंजीयन क्रमांक/DR./704, दिनांक 22 फरवरी, 1988 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. किन्तु संस्था द्वारा जो उत्तर प्रस्तुत किया गया है/नहीं किया गया है, वह असंतोषजनक है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम, 1962 एवं पंजीकृत उपविधि के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है तथा विगत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी "डी" वर्ग देने से यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिलोदाखुर्द, तहसील बदनावर, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री व्ही. एस. चौहान, अंकेक्षण अधिकारी, धार को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 06 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(18-T)

धार, दिनांक 06 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/2203.-कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./12/1887, धार, दिनांक 09 नवम्बर, 2012 अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खिलेडी, तहसील बदनावर, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक/DR./702, दिनांक 22 फरवरी, 1988 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. किन्तु संस्था द्वारा जो उत्तर प्रस्तुत किया गया है/नहीं किया गया है, वह असंतोषजनक है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम, 1962 एवं पंजीकृत उपविधि के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है तथा विगत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी "डी" वर्ग देने से यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खिलेडी, तहसील बदनावर, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री व्ही. एस. चौहान, अंकेक्षण अधिकारी, धार को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 06 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(18-U)

धार, दिनांक 06 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/2205.-कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./12/1887, धार, दिनांक 09 नवम्बर, 2012 अनुसार महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बगडीपुरा, तहसील धरमपुरी, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक/DR./996, दिनांक 29 अक्टूबर, 1996 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. किन्तु संस्था द्वारा जो उत्तर प्रस्तुत किया गया है/नहीं किया गया है, वह असंतोषजनक है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम, 1962 एवं पंजीकृत उपविधि के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है तथा विगत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी "डी" वर्ग देने से यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बगडीपुरा, तहसील धरमपुरी, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री व्ही. एस. चौहान, अंकेक्षण अधिकारी, धार को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 06 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

भंवर मकवाना,

उप-पंजीयक.

(18-V)

कार्यालय परिसमापक एवं अंकेक्षण अधिकारी, सहकारिता, जिला धार

धार, दिनांक 13 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के उपनियम 57(1) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र/परि/2012/1.—कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता, जिला धार के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत निम्न सहकारी समितियों को परिसमापन में लाए जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्र व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बिडवाल	509/06-10-1982	2129/30-11-2012

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मनासा	543/23-04-1983	2130/30-11-2012
3.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पिपरनी	549/17-06-1983	2136/30-11-2012
4.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बरमंडल	551/17-06-1983	2135/30-11-2012
5.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मोरगांव	562/19-10-1983	2134/30-11-2012
6.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कलसाड़ा	667/20-09-1985	2133/30-11-2012
7.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पचलाना	686/25-07-1987	2132/30-11-2012
8.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गरडावद	687/25-07-1987	2131/30-11-2012

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 के उपनियम 57(1) (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अन्दर मयप्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से बंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. तदानुसार समिति की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 13 दिसम्बर, 2012 को मेरे द्वारा जारी किया गया है.

(19)

धर, दिनांक 13 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के उपनियम 57(1) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र/परि/2012/1.— कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता, जिला धर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत निम्न सहकारी समितियों को परिसमापन में लाए जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., देवगढ़	1090/06-10-2001	2143/30-11-2012
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., धानी	1140/23-12-2002	2187/06-12-2012
3.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पचलाना	1086/05-10-2001	2188/06-12-2012
4.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सिमलावदा	1120/13-09-2002	2189/06-12-2012
5.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नेकपुरा	1106/25-06-2002	2190/06-12-2012
6.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मुण्डला	925/10-03-1993	2196/06-12-2012

(1)	(2)	(3)	(4)
7.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बगड़ीपुरा	996/29-10-1996	2205/06-12-2012
8.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पिपलखेड़ा	1093/15-10-2001	2191/06-12-2012
9.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पंचीघाटी	1139/23-12-2002	2192/06-12-2012
10.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., ताजपुर	1127/25-11-2002	2193/06-12-2012
11.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., झाड़ीबरोदा	1195/23-11-2005	2194/06-12-2012
12.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कालुखेड़ी	914/07-12-1992	2195/06-12-2012
13.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., साम्भर	480/07-06-1982	2197/06-12-2012
14.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., आमझेरा	401/20-06-1978	2198/06-12-2012
15.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बिल्लोद	538/16-04-1983	2199/06-12-2012
16.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बिजुर	497/07-06-1982	2200/06-12-2012
17.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., टिमायची	614/20-10-1984	2201/06-12-2012
18.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सिल्लोदाखुर्द	704/22-02-1988	2202/06-12-2012
19.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खिलेड़ी	702/22-02-1988	2203/06-12-2012

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 के उपनियम 57(1) (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अन्दर मयप्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. तदानुसार समिति की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 13 दिसम्बर, 2012 को मेरे द्वारा जारी किया गया है.

(19-A)

व्ही. एस. चौहान,
परिसमापक एवं अंकेक्षण अधिकारी.

कार्यालय उप-संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, देवास

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (23 सन् 1973) की धारा-15 की उपधारा-(2) के तहत सर्व-साधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि कार्यालय उप-संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, देवास द्वारा मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-116-20111-32, भोपाल दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 द्वारा शुजालपुर निवेश क्षेत्र का पुनर्गठन किया गया है. पुनर्गठन निवेश क्षेत्र में सम्मिलित 17 ग्रामों के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र तैयार किये गये हैं, जो कि निम्नानुसार हैं:-

1. शुजालपुर
2. पिपलौद

3. चित्तौडा
4. धारिया खेडी
5. सलमपुर
6. सेसरामपुरा
7. ताजपुर उकाला
8. मंडावर
9. झिरन्या
10. राणूगंज
11. अख्यारपुर
12. नान्याखेडी
13. महूधाट
14. नांदासुरा
15. कमल्या
16. भीलखेडी
17. किशोनी

उपरोक्त ग्रामों के मानचित्र सर्व-साधारण के निरीक्षण के लिये कार्यालय कलेक्टर, शाजापुर, कार्यालय नगर पालिका परिषद, शुजालपुर तथा कार्यालय उप-संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय देवास, के सूचना पटल पर दिनांक 18 जनवरी, 2013 से 17 फरवरी, 2013 तक (30 दिवस) कार्यालयीन समय पर अवकाश के दिनों को छोड़कर उपलब्ध रहेंगे.

यदि इस प्रकार तैयार किये गये भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्रों के संबंध में कोई आपत्ति/सुझाव हो तो उसे प्रदर्शनी स्थल कार्यालय नगर पालिका परिषद, शुजालपुर पर प्रस्तुत करें या कार्यालय उप-संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय देवास, को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिवस की कालावधि के भीतर लिखित में भेजा जाना चाहिए. भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति/सुझाव जो कि किसी भी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्राप्त हो, संचालक द्वारा विचार किया जावेगा.

(21)

एन. ए. लिखार,
उप संचालक.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 03]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 जनवरी 2013-पौष 28, शके 1934

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 3 अक्टूबर, 2012

1. मौसम एवं वर्षा.—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा तथा राज्य के कुछ ही जिलों में वर्षा का होना पाया गया है.—

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील रामनगर (सतना), अनूपपुर, कोतमा, पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), कुसमी, रामपुरनैकिन (सीधी), उज्जैन, बड़नगर (उज्जैन), शाजापुर, शुजालपुर, गुलाना (शाजापुर), आजादनगर, उदयगढ़ (अलीराजपुर), कुक्षी, गंधवानी (धार), बुरहानपुर, खकनार, नेपानगर (बुरहानपुर), आढनेर, आमला (बैतूल), पिपरिया (होशंगाबाद), जबलपुर (जबलपुर), निवास, विछिया, मण्डला, घुघरी, नारायणगंज (मण्डला), लखनादौन, कुरई, छपारा (सिवनी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील सेवड़ा, दतिया, भाण्डेर (दतिया), तराना (उज्जैन), सोण्डवा (अलीराजपुर), घोड़ाडोंगरी, चिचोली (बैतूल), पचमढ़ी (होशंगाबाद), नरसिंहपुर (नरसिंहपुर), नैनपुर (मण्डला), सिवनी (सिवनी), कटंगी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील भैंसदेही (बैतूल), करेली (नरसिंहपुर) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.—तहसील बैतूल, मुलताई (बैतूल) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. जुताई.—जिला श्योपुर, ग्वालियर, अनूपपुर, सीधी, शाजापुर, भोपाल में जुताई व टीकमगढ़ में रबी फसल की जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. बोनी.—जिला श्योपुर, दमोह व सीधी में खरीफ फसल की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. फसल स्थिति.—

5. कटाई.— जिला धार, भोपाल, होशंगाबाद, हरदा में सोयाबीन व मन्दसौर में सोयाबीन, मक्का, झाबुआ, बैतूल में सोयाबीन, मक्का व मूँगफली की बुआई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. सिंचाई.— जिला ग्वालियर, छतरपुर, सागर तथा अनूपपुर में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. पशुओं की स्थिति.— राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. चारा.— राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. बीज.— राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. खेतिहर श्रमिक.— राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, समाहान्त बुधवार, दिनांक 3 अक्टूबर, 2012

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि.मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) बाजरा, ज्वार, मक्का, तिल समान. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह	..				
2. पोरसा	..				
3. मुरैना	..				
4. जौरा	..				
5. सबलगाढ़	..				
6. कैलारस	..				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, तिल, मक्का, सोयाबीन, कपास समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर	..				
2. कराहल	..				
3. विजयपुर	..				
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) ज्वार, बाजरा, तिल सुधरी हुई. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर	..				
2. भिण्ड	..				
3. गोहद	..				
4. मेहगांव	..				
5. लहार	..				
6. मिहोना	..				
7. रौन	..				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, मूँगफली, उड़द अधिक. तिल, मूँगमोट, तुअर कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	..				
2. डबरा	..				
3. भितरवार	..				
4. घाटीगांव	..				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) उड़द, तिल, सोयाबीन, मूँगफली, ज्वार धान, गन्ना, बाजरा, मक्का मूँग. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा	20.0				
2. दतिया	23.0				
3. भाण्डेर	23.0				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गन्ना, मूँगफली अधिक. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	..				
2. पिछोर	..				
3. खनियाधाना	..				
4. नरवर	..				
5. करैरा	..				
6. कोलारस	..				
7. पोहरी	..				
8. बदरवास	..				

1	2	3	4	5	6
अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. मुंगावली	..		4. (1) उड़द, गन्ना अधिक. मक्का, सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	..		(2) ..		
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	..				
5. शाढौरा	..				
*जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. गुना	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. राघोगढ़	..		(2) ..		
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. रबी फसल की जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..		4. (1) धान, ज्वार, मूँग, सोयाबीन, उड़द, तिल, मूँगफली समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	..		(2) ..		
3. जतारा	..				
4. टीकमगढ़	..				
5. बल्देवगढ़	..				
6. मोहनगढ़	..				
7. पलेरा	..				
8. लिथोरा	..				
9. ओरछा	..				
10. खरगापुर	..				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	..		4. (1) ज्वार, अरहर, तिल कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	..		(2) ..		
3. नौगांव	..				
4. छतरपुर	..				
5. राजनगर	..				
6. बिजावर	..				
7. बड़ामलहरा	..				
8. बकस्वाहा	..				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. अजयगढ़	..		4. (1) धान, ज्वार, सोयाबीन, बाजरा, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, तिल, गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, अलसी, मसूर, मटर, आलू, प्याज.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	..		(2) ..		
3. गुन्नौर	..				
4. पवई	..				
5. शाहनगर	..				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	..		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदों-कुटकी, अरहर, मूँग, उड़द, गन्ना, मूँगफली, तिल, सोयाबीन समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	..		(2) ..		
3. बण्डा	..				
4. सागर	..				
5. रेहली	..				
6. देवरी	..				
7. गढ़ाकोटा	..				
8. राहतगढ़	..				
9. केसली	..				
10. मालथोन	..				
11. शाहगढ़	..				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. बोनी एवं कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, सोयाबीन, ज्वार, मक्का, तुअर, तिल समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	..				
2. बटियागढ़	..				
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का अधिक. धान, उड़द, मूँग, कोदों-कुटकी, तिल समान. सोयाबीन कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	..				
2. मझगवां	..				
3. रामपुर-बघेलान	..				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	4.0				
8. मैहर	..				
9. बिरसिंहपुर	..				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, ज्वार, सोयाबीन, मूँग, उड़द, अरहर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्योंथर	..				
2. सिरमौर	..				
3. सेमरिया	..				
4. मऊगंज	..				
5. हनुमना	..				
6. हजूर	..				
7. गुढ़	..				
8. जवा	..				
9. खयफुकर्तुलियान	..				
10. नई गढ़ी	..				
11. मनगवां	..				
*जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. सोहागपुर	..				
2. ब्यौहारी	..				
3. जैसिंहनगर	..				
4. जैतपुर	..				
5. बुडार	..				
6. गोहपारू	..				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, सोयाबीन अधिक. कोदों, मक्का, अरहर, उड़द, तिल समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	..				
2. अनूपपुर	0.6				
3. कोतमा	14.1				
4. पुष्पराजगढ़	1.0				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदों-कुटकी, अरहर, सोयाबीन, उड़द, तिल अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	..				
2. पाली	..				
3. मानपुर	..				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) अलसी, चना, राई-सरसों कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	..				
2. सिंहावल	..				
3. मझोली	..				
4. कुसमी	2.0				
5. चुरहट	..				
6. रामपुरनैकिन	6.5				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, मक्का, ज्वार, अरहर, तिल, उड़द, मूँग, कोंदों-कुटकी, सावां समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. चितरंगी	..				
2. देवसर	..				
3. सिंगरौली	..				
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. सोयाबीन, मक्का की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, उड़द कम. तिल मूँगफली समान. सोयाबीन अधिक. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	..				
2. भानपुरा	..				
3. मल्हारगढ़	..				
4. गरोठ	..				
5. मन्दसौर	..				
6. धुन्धड़का	..				
7. सीतामऊ	..				
8. संजीत	..				
9. शामगढ़	..				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, मूँगफली, तिल, तुअर अधिक. उड़द कम. सोयाबीन समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावद	..				
2. नीमच	..				
3. मनासा	..				
जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) सोयाबीन, मक्का, कपास समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावरा	..				
2. आलोट	..				
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. पिपलौदा	..				
6. रतलाम	..				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, सोयाबीन समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खाचरौद	..				
2. महिदपुर	..				
3. तराना	29.0				
4. घटिया	..				
5. उज्जैन	5.0				
6. बड़नगर	16.0				
7. नागदा	..				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) ज्वार, सोयाबीन, अरहर, मूँगफली, मक्का, समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	..				
2. सुसनेर	..				
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
5. बड़ौद	..				
6. शाजापुर	9.0				
7. शुजालपुर	4.0				
8. कालापीपल	..				
9. गुलाना	9.0				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, उड़द, मूँग, सोयाबीन अधिक. ज्वार, मक्का, कपास कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ				
2. टोंकखुर्द				
3. देवास				
4. बागली				
5. कन्नौद				
6. खातेगांव				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. मक्का, सोयाबीन की कटाई एवं मूँगफली की फसल की तुड़ाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) सोयाबीन अधिक. धान कम. मक्का, कपास, मूँगफली, उड़द, तुअर समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. थांदला				
2. मेघनगर				
3. पेटलावद				
4. झाबुआ				
5. राणापुर				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, कपास, उड़द, सोयाबीन, तुअर अधिक. ज्वार, मक्का कम. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद. चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. जोवट				
2. अलीराजपुर				
3. आजादनगर 4.0	4.0				
4. उदयगढ़ 12.2	12.2				
5. सोण्डवा 32.0	32.0				
6. कट्टीवाड़ा				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. सोयाबीन की फसल कटाई कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास कम. सोयाबीन अधिक. (2) समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बदनावर				
2. सरदारपुर				
3. धार				
4. कुशी 3.5	3.5				
5. मनावर				
6. धरमपुरी				
7. गंधवानी 9.0	9.0				
8. डही				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. देपालपुर				
2. सांवेर				
3. इन्दौर				
4. महू				
(डॉ. अम्बेडकरनगर)					
जिला प. निमाड़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ज्वार, मक्का, धान, बाजरा, कपास, मूँगफली, तुअर समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वाह				
2. सनावद				
3. महेश्वर				
4. सेगांव				
5. करही				
6. खरगोन				
7. गोगावां				
8. कसरावद				
9. मुल्ठान				
10. भगवानपुरा				
11. भीकनगांव				
12. झिरन्या				

1	2	3	4	5	6
*जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. बड़वानी	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. ठीकरी	..		(2) ..		
3. राजपुर	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
*जिला पूर्ण-निमाड़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. खण्डवा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. पंधाना	..		(2) ..		
3. हरसूद	..				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	3.4		4. (1) गन्ना, मूँगफली, अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	15.6		तिल, सनहेम्प, कपास, तुअर, कम.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	16.5		(2) ..		
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. जीरापुर	..		4. (1) सोयाबीन अधिक. गन्ना, ज्वार कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	..		मक्का, मूँगफली, तिल समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	..		(2) ..		
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. नरसिंहगढ़	..				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. लटेरी	..		4. (1) सोयाबीन, उड़द, तुअर, मूँग,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	..		मक्का ज्वार.	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	..		(2) ..		
4. बासौदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. ग्यारसपुर	..				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं सोयाबीन की कटाई कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	..		(2) सोयाबीन, मक्का, मूँगफली, तुअर समान.	चारा पर्याप्त.	
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. फसल कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. सीहोर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	..		(2)	
3. इछावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. बुधनी	..				

1	2	3	4	5	6
*जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. रायसेन	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. गैरतगंज	..		(2) ..		
3. बेगमगंज	..				
4. गोहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. उदयपुरा	..				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. मक्का, सोयाबीन की कटाई एवं मूँगफली की तुड़ाई कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) सोयाबीन, मक्का, ज्वार अधिक. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	45.4				
2. घोड़ाडोंगरी	21.0				
3. शाहपुर	..				
4. चिचोली	25.7				
5. बैतूल	64.0				
6. आढनेर	3.3				
7. मुलताई	94.4				
8. आमला	17.0				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. सोयाबीन फसल की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर अधिक. मूँगमोठ, उड़द, कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..				
2. होशंगाबाद	..				
3. बाबई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	7.2				
7. वनखेड़ी	..				
8. पचमढ़ी	21.4				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. सोयाबीन फसल की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) सोयाबीन (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हरदा	..				
2. खिड़किया	..				
3. टिमरनी	..				
4. हण्डिया	..				
5. रहटागांव	..				
6. सिराली	..				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोरा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मझौली	..				
4. जबलपुर	12.0				
5. कुण्डम	..				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) धान, ज्वार, मक्का, कोदों, राहर, तिली, सोयाबीन, उड़द समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. कटनी	..				
2. रीठी	..				
3. विजयराघवगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				
7. बड़वारा	..				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. गाडरवारा	..		4. (1) धान, ज्वार, उड़द, सोयाबीन, मूँग अधिक. मक्का, तुअर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. करेली	42.0		(2) ..		
3. नरसिंहपुर	22.0				
4. गोटेगांव	..				
5. तेन्दूखेड़ा	..				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	12.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	16.2		(2) धान, मक्का, कोदों, तुअर, तिल, सन समान.		
3. नैनपुर	23.5				
4. मण्डला	13.6				
5. घुघरी	8.5				
6. नारायणगंज	3.5				
*जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. डिण्डोरी	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. शाहपुरा	..		(2) ..		
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	..		(2) सोयाबीन, मक्का समान.		
3. परासिया	..				
4. जामई (तामिया)	..				
5. सोंसर	..				
6. पांडुर्णा	..				
7. अमरवाड़ा	..				
8. चौरई	..				
9. बिडुआ	..				
10. हरई	..				
11. मोहखेड़ा	..				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	22.0		4. (1) धान, मक्का, तुअर, मूँगफली, गन्ना अधिक. ज्वार, बाजरा, कोदों-कुटकी, उड़द, मूँगमोठ, तिल, सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	..		(2) ..		
3. लखनादौन	16.0				
4. बरघाट	..				
5. कुरई	7.0				
6. घंसौर	..				
7. घनोरा	..				
8. छपारा	6.4				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	..		(2) धान, मक्का, कोदों-कुटकी, तुअर, गन्ना समान.		
3. बैहर	..				
4. वारासिवनी	..				
5. कटंगी	33.0				
6. किरनापुर	..				

टीप.— *जिला गुना, शहडोल, बड़वानी, पूर्व-निमाड़, रायसेन, डिण्डोरी से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,

आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(11)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2013.